46

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2435—दो/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27—04—2015 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के. प्रकरण कमांक 204/अपील/2007—08.

.....

1—मु0 दुर्गावती विधवा पत्नी स्व0 लालजीराम
2— बृजेश तनय स्व0 लालजीराम
3— राजेश तनय स्व0 लालजीराम
4—राकेश तनय स्व0 लालजीराम
5—संतोष तनय स्व0 लालजीराम
सभी निवासी ग्राम ढ़ोटी तहसील
सिंगरौली जिला सिंगरौली म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

वीरेन्द्र कुमार उपाध्याय तनय रामा प्रसाद
निवासी ग्राम ढ़ोटी तहसील सिंगरौली
जिला सिंगरौली म0प्र0

——— अनावेदक

.....

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 11.01.2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—04—2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक वीरेन्द्र कुमार पिता रामप्रसाद उपाध्याय निवासी ढोटी तहसील सिंगरौली के न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा भूमि खसरा क्रमांक 55 रकवा अंशभाग 0.05 एकड़ पर स्वीकार किया गया। इससे दुखित होकर आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 29.9.2007 को प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया। इससे दुखित होकर अनावेदक वीरेन्द्र कुमार द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 27.4.17 को अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई, इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित आराजी सर्वे क्रमांक 55 ग्राम ढोटी तहसील सिंगरौली में स्थित होकर जिसका रकवा पूर्व में 0.312 है0 रहा हैं इस भूमि के भूमि स्वामी आवेदकगण के पिता स्व0 लालजीराम थे इस भूमि का कुछ अंश लालजीराम द्वारा अनावेदक तथा उसकी पत्नी के नाम तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम अपने जीवन में बिक्री किया था। उक्त विक्रय के बाद लालजीराम के पास उक्त भूमि का अंश भाग 0.040 है0 शेष बचा रहा जो लालजीराम के मृत्यु के बाद आवेदकगण को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई उक्त शेष भूमि पर आवेदकगण पुश्तैनी रूप से लगातार आज भी काबिज है तथा उस मकान बनाकर अधिवासित है तथा उक्त रकवा 0.040 है0 वाले भाग का अवेदकगण पर तहसीलदार सिंगरौली न्यायालय से प्रकरण क्रमांक 50/अ–3/05–06 में पारित आदेश दिनांक 20.2.06 द्वारा नक्शा तरमीम भी अपने नाम करा लिया है। उनका तकै है कि सर्वे क्रमांक 56 की भूमि का रकवा 0.020 है0 आवेदकगण के पिता लालजीराम द्वारा मिटठू सोनी को बिक्री किया गया था जिसको लेकर मिटठू सोनी एवं अनावेदक वीरेन्द्र कुमार के मध्य 1993 में सिविल न्यायालय में मुकद्मा चला था उक्त मुकद्में में लालजीराम के बीमारी का लाभ लेकर अवैध और कपटपूर्ण राजीनामा के आधार पर सिविल कोर्ट से डिक्री अनावेदक द्वारा प्राप्त की थी उक्त डिक्री का कियान्वयन अनावेदक द्वारा लालजीराम के जीवलकाल में नहीं कराया गया और उसे छिपाये रखा गया। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि आवेदकगण के पिता लालजीराम की मृत्यु के

पश्चात सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 3अ/87 में पारित राजीनामा की डिक्री दिनांक 7.1.93 के आधार पर अनावेदक द्वारा 13 वर्ष बाद न्यायालय तहसीलदार सिंगरौली के समक्ष आराजी 55 के अंशभाग 0.020 है0 अर्थात 5 डिसमिल भूमि का नामांतरण अपने नाम कराने का आवेदन प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 98/अ–6/06–07 पर दर्ज किया गया। आवेदकगण द्वारा उपस्थित होकर नामांतरणं आवेदन का लिखित में विरोध किया कि किसी डिक्री के कियान्वयन हेतु लिमिटेशन एक्ट में 12 वर्ष म्याद निर्धारित है। चूंकि अनावेदक द्वारा डिक्री दिनांक 7.1.1993 वर्ष बाद कराये जाने का आवेदन दिया इस कारण आवेदन प्रचलनशील नहीं है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक का उक्त नामांतरण आवेदन पारित आदेश दिनांक 19.6.07 द्वारा स्वीकर किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी तर्क किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जो अंतिरिम आदेश की परधि में आता है और उसके विरूद्व निगरानी होना चाहिये थी लेकिन उनके द्वारा अपील की गई थी जो प्रचलनशील ही नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जावे तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश निरस्त किया जावे एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरनी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेख बहस प्रस्तुत की। उनके द्वारा अपने लेखी बहस में लेख किया गया है कि सिविल न्यायालय में वादिया तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 व आवेदकगण के पिता लालजी के मध्य राजीनामा हो गया था जिस पर आराजी खसरा नंबर–55/1 का अंश भाग 0.05 डि0 स्थित ग्राम ढोंटी अनावेदक विरेन्द्र कुमार के पक्ष में राजीनामा कर दिये जिसमें वादिया लालजी व विरेन्द्र कुमार उपाध्याय द्वारा राजीनामा से अपने अपने हस्ताक्षर किये अतः सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 7.1.93 को राजीनामा स्वीकार कर आराजी खसरा नंबर 55 का अंश भाग 0.05 डि0 ग्राम ढोंटी विरेन्द्र कुमार उपाध्याय के हक में बहाल करने का आदेश पारित किया गया। निर्णय दिनांक के पूर्व से ही अनावेदक विरेन्द्र कुमार उपाध्याय उक्त भू–खण्ड पर कांबिज व आबाद है। सिविल न्यायालय में राजीनामा 5.12.88 को पेश किया था। यह कि अनावेदक के द्वारा सिविल न्यायालय बैढन के द्वारा राजीनामा में प्राप्त

आराजी पर कोई विवाद नहीं रह गया। इस कारण राजीनामा में प्राप्त भूमि को नामांतरण तत्काल नहीं करा सकता। आवेदक द्वारा वर्ष 2006–07 में न्यायालय तहसीलदार सिंगरौली के न्यायालय में अनावेदक द्वारा आवेदकगण को पक्षकार बनाकर नामांतरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय द्वारा नामांतरण स्वीकार किया गया। नामांतरण आदेश के खिलाफ आवेदकगण दुर्गावती आदि द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली के न्यायालय में अपील पेश किये जो उक्त न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः तहसीलदार न्यायालय में प्रत्यावर्तित करने का आदेश दिनांक 29.9.07 को पारित किया जिसके विरूद्व अनावेदकगण विरेन्द्र कुमार उपाध्याय द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त रीवा में प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय अपर आयुक्त रीवा द्वारा दिनांक 27.4.15 को अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी सिंरौली का आदेश निरस्त कर तहसीलदार द्वारा पारित नामांतरण आदेश यथावत रखा गया। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त कर अपर आयुक्त रीवा का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये तथा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का बारीकी से अध्ययन किया गया । अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्राम ढोटी के 05 डिस0 के भूमि का विवाद हैं डिक्री के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। अनुतोष जो चहा गया हे वह उचित नहीं हैं विवाद मिटठू सोनी एवं वीरेन्द्र कुमार उपाध्याय के बीच था। भूमि विक्रेता लालजीराम रहे जो फॉरमर पक्षकार हैं । दिनांक 7.1.93 को राजीनामा सिविल सूट कमांक 30/अ/87 न्यायालय में स्वीकार किया गया। मिटठू सोनी की भूमि बीरेन्द्र कुमार को प्राप्त हो गयी । नामांतरण आदेश 13 वर्ष वाद डिक्री के आधार पर पारित किया गया है। जिसमें प्रक्रियात्मक त्रुटि है। **लिमिटेशन के बाहर हैं, लिमिटेशन एक्ट अनुच्छेद–136 समय सीमा 12 वर्ष है**। डिक्री पारित दिनांक से समय सीमा चालू हो जाती है। इन सब पहलुओं पर विचारण न्यायालय एवं अपर आयुक्त रीवा द्वारा विचार नहीं किया गया है। सिविल कोर्ट के आदेश की प्रति राजस्व न्यायालयों में नहीं आती इसलिये प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी पक्षकार की ही है । डिक्री शून्य नहीं होगी किन्तु

कियान्वयन नहीं कराया जा सकता। अतः विचारण न्यायालय द्वारा एवं अपर आयुक्त रीवा द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि डिक्री शून्य नहीं होगी, किन्तु कियान्वयन नहीं कराया जा सकता। अनुविभागयी अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित कर उभयपक्ष को समय सीमा पर सुनवाई का अवसर दिये जाने का आदेश दिये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त रीवा का प्रकरण कमांक 204/अपील/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 27.4.15 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी का प्रकरण कमांक 94/अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक 29.9.07 स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर